पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 253/2024

प्रेस-नोट, आजमगढ़ पुलिस

दिनांक- 13.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने व चोरी/लूट की घटनाओं के सफल अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.08.2024 को थाना सरायमीर पुलिस द्वारा महिलाओं को भ्रमित कर उनके गहनें, जेवर उतरवाकर लेकर भाग जाने वाले अन्तर्जनपदीय 04 शातिर अभियुक्तों को टप्पेबाजी के आभूषण (कीमत लगभग 1.2 लाख रूपयें), घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल व चोरी की 01 मोटर साइकिल तथा अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है।

थाना सरायमीर, आजमगढ़

महिलाओं को भ्रमित कर उनके गहनें, जेवर उतरवाकर लेकर भाग जाने वाले अन्तर्जनपदीय 04 शातिर अपराधी गिरफ्तार; टप्पेबाजी के आभूषण (कीमत लगभग 1.2 लाख रूपयें), घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल व 01 चोरी की मोटरसाकिल तथा अवैध असलहा व कारतूस बरामद

पूर्व की घटना-

➡दिनांक- 10.08.24 को वादिनी मुकदमा सुकल पत्नी जियावन लाल निवासी गढवाँ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना सरायमीर पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी मुकदमा समय 14.30 बजे अपने घर से बाजार सरायमीर में सब्जी लेने जा रही थी कि ठाकुर द्वारा मस्जिद के आगे सरकारी हैण्ड पाईप के पास कोने पर पहुंची थी कि तीन लड़के मोटर साईकिल खड़ी करके मेरे पास आकर एक कपड़े पर नोट की तरह लपेटा हुआ गड्डी दिये और मेरे कान का कानफूल और गले में धागे से लगा लाकेट ले लिए और कहे कि इसी जगह बैठे रहना थोड़ी देर में आकर मैं अपना पैसा ले जायेगे उसके बाद तीनो लड़के मोटर साईकिल से चले गये काफी देर होने पर जब मैं कपड़ा (रुमाल) खोल कर देखी तो उसमे कागज का टूकडा था, के सम्बन्ध तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 431/24 धारा 303 बीएनएस थाना सरायमीर आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

➡दिनांक- 07.05.24 को वादिनी मुकदमा बेला देवी पत्नी राधेश्याम ग्राम सतवहिया थाना फूलपुर आजमगढ़ ने थाना सरायमीर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 06.05.2024 को सुबह वादिनी मुकदमा संजरपुर दवा लेने गई थी वहाँ से दवा लेकर लगभग 9 बजे सरायमीर नई बाजार मेन रोड पर आटो रिक्शा से उतरी वहाँ केला ले रही थी तभी दो व्यक्ति आये मुझसे पुछे की चाची यहाँ बैंक है। मैने कहा की मुझे नहीं मालूम है। वह लोग मुझे अपने साथ लेकर ठठेरी बाजार सब्जी मण्डी के पास ले गये। वहाँ मुझे वह लोग पैसा की तरह लपेटा दस्ती रूमाल दिए और मुझसे सोने का कान का टप और लाकेट ले लिए और कहा कि इसी जगह बैठे रहना अभी आकर मैं अपना पैसा लूंगा खोलना नहीं। काफी देर न लौटने पर मैं कपड़ा (रुमाल) खोल कर देखी तो उसमे कागज का टूकडा था वह लोग धोखा से मेरा जेवर लेकर चले गए। तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 240/24 धारा 379/420 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण –

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा मुकदमा उपरोक्त की घटना का सफल अनावरण करने व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक सरायमीर को निर्देशित किया गया जिसके क्रम में आज दिनांक-13.08.2024 को प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली कि दो मोटर साइकिल पर पांच व्यक्ति शेरवा बाजार में खड़े हैं बस्ती नहर के रास्ते सिकरौर की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। इनके द्वारा थाना क्षेत्र में कागज की गड्डी का नोट बनाकर ये लोग घुमफिर कर महिलाओ को दिखाकर उनका जेवर उतरवाकर लेकर चले जाते हैं तथा रात में चोरिया भी करते है। इनके पास नाजायज असलहा भी हैं, इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची, बस्ती नहर पुलिया के आगे हाजीपुर मोड़ पर दो मोटर साइकिल शेरवा की तरफ से आते दिखाई दिया, दोनो मोटर साइकिल को टार्च की रोशनी में रूकने का इशारा किया गया तो दोनो मोटर साइकिल चालक हड़बड़ाहट में मोटर साइकिल सहित गिर गये जिसमें एक मो0सा0 के पीछे बैठा एक व्यक्ति मो0सा0 से कुदकर अंधेरे का लाभ लेते हुए झाड़ियो के सहारे भाग गया। चार व्यक्तियों 1. रामदरश उर्फ देवा पुत्र स्व0 रविशंकर निवासी पारा थाना सरायमीर आजमगढ़, 2.दिलीप कुमार उर्फ सोनू पुत्र शोभनाथ ग्राम पारा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, 3. विजयभान पुत्र बहादुर राम ग्राम पारा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, 4. सूरज सोनी पुत्र शेषनाथ सोनी निवासी भेड़िया थाना फूलपुर आजमगढ़ को टप्पेबाजी के आभूषण (कीमत लगभग 1.2 लाख रूपयें), 02 तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 02 मोटरसाइकिल के साथ हाजीपुर मोड़ के पास से समय 01.40 बजे सुबह गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त राम दरश ने बताया कि घटना के लिए किसी मार्केट का चुनाव करते हैं वहा पर किसी भोली भाली अधेड़ महिला को अपना शिकार चुनते है। बोलते हैं चाची (शिकार) दो लाख रूपये जमा करना हैं, महिला बोलती हैं एक बार में नही जमा होगा थोड़ी- थोड़ी करके जमा होगा। तब अपना साथी बगल से जाता हैं। साथ वाले को बोलते हैं जमा करने के लिये तो साथ वाला व्यक्ति बोलता हैं कि एक साथ जमा नही होगा। मैं और चाची मिलकर दोनो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर देगे। साथ वाला बंदा चाची से कहता हैं कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जमा कर देगे और आधा-आधा पैसा ले लेगे। कपड़े में लपेटकर कागज की नोट की गड्डी

चाची को थमा देते हैं उसके बाद महिला से कहते हैं कि चाची आपको विश्वास करके दो लाख रूपये दे रहे हैं इसके गारंटी मे अपना कान का टप्स दे दीजिए। इसी लालच में चाची द्वारा अपना कान का टप्स दे दिया जाता है। महिला को आगे जाने की बात कहते हुए हम लोग महिला का जेवर लेकर वहां से फरार हो जाते है। उसके बाद मार्केट से बाहर निकलकर भेड़िया बाजार थाना फूलपुर आजमगढ़ में सूरज ज्वैलर्स के यहां बेच देते है। वह सामान का वजन कर लेता हैं और प्रति ग्राम 3800 के हिसाब से नगद पैसा देता हैं। सोने का बाजार रेट 65,000/- हैं जिसका लगभग आधा रेट से सूरज ज्वैलर्स द्वारा नगद दिया जाता है। अब तक मेरे द्वारा छः बार सूरज ज्वैलर्स के यहां शिकार से ठगे गये लाकेट व कान के आभूषण (टप्स) बेचकर उससे पैसा प्राप्त किया गया हैं और हम लोग बराबर बराबर आपस में बांट लेते है। सूरज सोनी हम लोगो से पहले से परिचित हैं चुंकि हम लोगो का सामान चोरी व ठगी का रहता हैं जिसकी जानकारी सूरज सोनी को पहले से रहती हैं। वह हम लोगो से माल कहा से लाये इस सम्बन्ध में कुछ पूछताछ नही करता हैं। हम लोग किसी भी समय उसकी दुकान पर जाकर माल बेच देते है। मैं ऐसा काम लुधियाना में रहकर अपने बिहार के कुछ दोस्तों से सीखा है। ऐसा काम हमलोग **पंजाब, हिमांचल प्रदेश, हरियाणा व उत्तराखण्ड में भी किये** है, जहां से जेल भी जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. रामदरश उर्फ देवा पुत्र स्व0 रविशंकर निवासी पारा थाना सरायमीर आजमगढ़
2. दिलीप कुमार उर्फ सोनू पुत्र शोभनाथ ग्राम पारा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
3. विजयभान पुत्र बहादुर राम ग्राम पारा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
4. सूरज सोनी पुत्र शेषनाथ सोनी निवासी भेड़िया थाना फूलपुर आजमगढ़

फरार अभियुक्त – 1. रोशन उर्फ उजागिर पुत्र जंगबहादुर ग्राम सिंगारपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़

बरामदगी-

1. 02 तमंचा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक लाकेट पीली धातु, चार कान का टप्स पीली धातु
2. 03 मोटर साइकिल जिसमें दो बाइक स्पलेण्डर प्लस व प्लसर घटना में प्रयुक्त तथा 01 चोरी की एक बाइक सुपर स्पलेण्डर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 435/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़ (अभि0 रामदरश) थाना सरायमीर आजमगढ़
2. मु0अ0स0 436/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़ (अभि0 विजयभान) थाना सरायमीर आजमगढ़
3. मु0अ0स0 437/24 धारा 318(4),338,336(3),340(2),317(2),317(5),3(5) बीएनएस थाना सरायमीर आजमगढ़ (अभि0 रामदरश, विजयभान, रौशन उर्फ उजागीर)

आपराधिक इतिहास- अभि0 रामदरश उर्फ देवा उपरोक्त

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	249/24	323,504, 506,325,354,427,452 भादवि	सरायमीर	आजमगढ़
2	262/23	323, 504,506 336,427, 452 भादवि	सरायमीर	आजमगढ़
3	298/23	34, 427, 506	सरायमीर	आजमगढ़
4	240/24	379/420/411	सरायमीर	आजमगढ़
5	431/24	303 बीएनएस	सरायमीर	आजमगढ़
6	437/24	318(4),338,336(3),340(2),317(2),317(5),3(5) बीएनएस	सरायमीर	आजमगढ़
7	360/19	379/34 भादवि	नालागढ	बद्दी (हिमांचल प्रदेश)
8	571/19	379/420 भादवि	अम्बाला कैण्ट	लुधियाना (पंजाब)
9	647/20	379/420 भादवि	सदर कोतवाली	अम्बाला (हरियाणा)
10	392/20	420/120बी भादवि	पटेल नगर	देहरादून (उत्तराखण्ड)

अभि0 दिलीप कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	598/07	323,452,497 भादवि	सरायमीर	आजमगढ़
2	80/14	457/380/411 भादवि	सरायमीर	आजमगढ़

अभि0 विजयभान पुत्र बहादुर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

क्र0स0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	240/24	379/420/411	सरायमीर	आजमगढ़
2	431/24	303 बीएनएस	सरायमीर	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1- प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना सरायमीर आजमगढ़

2- उ0नि0 अभिषेक कुमार सिंह मय हमराह थाना सरायमीर आजमगढ़

3- उ0नि0 पंकज यादव मय हमराह थाना सरायमीर आजमगढ़

आजमगढ़ पुलिस